सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 548 राँची ,सोमवार

5 कार्तिक 1936 (श०)

27 अक्टूबर, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

22 अक्टूबर, 2014

1. उपायुक्त, हजारीबाग का पत्रांक-1860/गो0, दिनांक 4 जून, 2004, पत्रांक- 1054/स्था0, दिनांक 19 सितम्बर, 2008 एवं पत्रांक-653/स्था0, दिनांक 1 अगस्त, 2014

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-4628, दिनांक 8 अगस्त, 2011 एवं पत्रांक-260, दिनांक 10 जनवरी, 2012

संख्या-5/आरोप-1-80/2014 का.-10401--श्री भीष्म कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-539/03, गृह जिला- नालन्दा), के विरूद्ध इनके प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतरातू, हजारीबाग के पद पर पदस्थापन अवधि में उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-1860/गो0, दिनांक 4 जून, 2004 द्वारा प्रपत्र- 'क' प्राप्त है।

2. प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध आरोप है कि 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' के तहत् वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए हजारीबाग जिले को प्राप्त आवंटन के आलोक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतरातू के कार्यावधि के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सुयोग्य कन्याओं के विवाह हेतु सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, किन्तु निर्धारित अवधि व्यतीत होने जाने के बावजूद वांछित सूची जिला कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस प्रकार, अपने उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं महत्वपूर्ण कार्य में उदासीनता बरती गयी है। इसके फलस्वरूप गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन बसर करने वाले परिवार को उसका लाभ नहीं मिल पाया।

3. उपायुक्त, हजारीबाग के ही पत्रांक-1054/स्था0, दिनांक 19 सितम्बर, 2008 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध पुनः एक प्रपत्र- 'क' प्राप्त है, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

(i) दिनांक 29 दिसम्बर, 2003 को दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित शीर्षक 'उग्रवादियों को लाखों का ठेका दे रखे हैं पतरातू के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी' में स्पष्ट किया गया है कि श्री कुमार द्वारा योजना का ठेका ऐसे व्यक्ति को दिया गया है, जो उग्रवादियों के सम्पर्क में हैं।

(ii) श्री कुमार द्वारा पतरातू प्रखण्ड अन्तर्गत भुरकुण्डा खेपा बाबा आश्रम धार्मिक स्थल पर एक भवन का निर्माण सरकार के मार्गदर्शिका के प्रतिकूल किया गया है।

(iii) अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सहकारिता विभाग के मार्गदर्शिका सिद्धांत के प्रतिकूल प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को पंचायत को प्रभार दिलाया गया।

(iv) आपके द्वारा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना किए जाने का मामला परिलक्षित होता है।

4. विभागीय पत्रांक-4628, दिनांक 8 अगस्त, 2011 एवं पत्रांक-260, दिनांक 10 जनवरी, 2012 द्वारा श्री कुमार से क्रमशः कंडिका-2 एवं 3 में प्रतिवेदित आरोपों पर स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

5. श्री कुमार के पत्रांक-1044, दिनांक 8 नवम्बर, 2011 एवं पत्रांक-159, दिनांक 22 फरवरी, 2012 द्वारा उक्त आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

6. उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-653/स्था0, दिनांक 1 अगस्त, 2014 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उपर्युक्त कंडिका-2 एवं 3 (iv) में प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाया गया है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, हजारीबाग के मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त, उपायुक्त, हजारीबाग के मंतव्य से सहमत होते हुए असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के नियम-49 के अन्तर्गत श्री कुमार पर 'निन्दन' की सजा अधिरोपित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 548–50 ।